

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 109/2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक - 26.06.2025

Gcms : 2025/229

1. अणदाराम पुत्र चतराराम जाति मेघवाल निवासी तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान बाघसरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी रोही ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की निवासी है। रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 212 के खसरा संख्या 238 तादादी 3.9958 है0, खसरा नम्बर 280 तादादी, 3.5026 व खसरा नम्बर 357/62 तादादी 1.3150 है0 प्रार्थी की खातेदारी में 1/9 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी के नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में गोदूराम पुत्र चतराराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम अणदाराम पुत्र चतराराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम अणदाराम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का पता दुरस्त करवाना आवश्यक है।


उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थी का खेत रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का सही नाम अणदाराम अंकित है जबकि जमाबन्दी में गोदूराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोदूराम की बजाय अणदाराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम अणदाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


—:आदेश:—

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही तेलाप तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 212 के खसरा संख्या 238 तादादी 3.9958 है0, खसरा नम्बर 280 तादादी, 3.5026 व खसरा नम्बर 357/62 तादादी 1.3150 है0 तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार का नाम गोदूराम के स्थान पर अणदाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में

सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़